डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2025 / 6204 दिनांकः 12 मार्च, 2025

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान,

विषयः प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2025 / 6103 दिनांक 03.03. 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रश्नगत योजना संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं पात्रता / शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि अभ्यर्थियों के आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित करते हुए 31.03.2025 कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के आवेदन के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में संस्थान स्तर से यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय

12/3/25

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

/

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उ० प्र० शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश,
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पार्क रोड, हज़रतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
4. कुलसचिव, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ,उत्तर प्रदेश,
5. समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शि०) , व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः- 317 /टी०-5 /2270/पी० एम० आई ० यो०/2024/76 लखनऊ दिनांकः 24 फ़रवरी, 2025

विषयः प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना माह अक्टूबर 2024 से लागू की गयी है। बजट सत्र 2024-25 में देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप हेतु प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गयी है, जिसका उद्देश्य पांच साल में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को 12 महीने तक इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पायलेट परियोजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए इंटर्नशिप को इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमे कंपनी इंटर्न को उद्योग/अधिष्ठानों के व्यावहारिक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो उद्योग/अधिष्ठानो एवं युवाओं की शैक्षिक योग्यता के बीच के गैप को कम करने में मदद करता है , जिससे रोजगार की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी।

उक्त योजना के अंतर्गत 21 से 24 वर्ष के बीच की आयु के युवा, भारतीय राष्ट्रीयता से सम्बंधित, जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं है, आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। उक्त योजना के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमाधारक, आई०टी० आई०, इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है। शैक्षिक योग्यता, अयोग्यता मानदंड एवं अन्य पात्रता मानदंड हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.स.-सीएसआर/13/35/2024, दिनांकः 03.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ने पिछले तीन वर्षों के औसत सी.एस.आर. व्यय के आधार पर कुल 19 सेक्टर के शीर्ष 500 कंपनियों को उक्त योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। इंटर्नशिप के पूरे महीने की अवधि के लिए इंटर्न को न्यूनतम 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। सम्बंधित कम्पनियों की नीतियों के आधार पर कंपनी के सी.एस.आर. फण्ड से प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह रुपये 500/- की धनराशि प्रदान करेगी जिसके पश्चात भारत सरकार इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से अभ्यर्थी को 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक की धनराशि

मासिक सहायता के रूप में प्रदान करना चाहती है तो वह स्वयं के फण्ड से कर सकती है। उक्त के अतिरिक्त इंटर्न के कार्यभार ग्रहण करने पर 6,000 रुपये की धनराशि का एकमुश्त अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

उक्त योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी को पोर्टल पर स्वय से पंजीकृत करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार पोर्टल द्वारा बायोडाटा तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों को पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों एवं अन्य मानदंडों को चुनने का विकल्प प्राप्त होगा। पोर्टल के माध्यम से ही प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों का एक ग्रुप चयनित किया जायेगा। कम्पनियाँ अपने सम्बंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी एवं इंटर्नशिप हेतु ऑफर प्रदान करेगी। यह स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप की पेशकश से मंत्रालय या समबन्धित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संविदात्मक या कानूनी सम्बन्ध नहीं बनेगा एवं इंटर्नशिप अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जायेगा।

उक्त योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के अंतर्गत संचालित विभागों में से माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग की भागीदारी स्पष्ट रूप से है जिसके अंतर्गत प्रदेश स्तर पर उपरोक्त विभाग के नोडल अधिकारी नामित है एवं पोर्टल के संचालन हेतु सम्बंधित विभाग के नोडल अधिकारियों को लॉग इन आई० डी० और पासवर्ड उपलब्ध कराये गए है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभान्वित करवाने एवं उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर सम्बंधित विभाग से जनपदीय नोडल अधिकारी एवं पोर्टल के सुचारू रूप से अनुश्रवण हेतु सम्बंधित विभाग के एक टेक्निकल सदस्य को नामित करते हुए उपरोक्त की सूचना (मोबाइल नंबर और ई-मेल आई०डी० सहित) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:1-विस्तृत गाइडलाइन्स
2-बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
3-यूजर मैनुअल

भवदीया,

(नेहा प्रकाश)
निदेशक।

पत्रांक:- टी०-5 /2270/पी० एम० आई ० यो०/2024/76 लखनऊ, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2-विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3-श्री शिवा अग्रवाल, नोडल ऑफिसर, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ।
4-अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(नेहा प्रकाश)
निदेशक